न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 22/2021 जिला–दौसा।

हजारी पुत्र भोल्या जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 29.01.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 72/2020

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री गोरधन गुर्जर।
2. रेस्पोडेंट की ओर से श्री चन्द्रशेखर वेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–15.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.01.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.03.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील हजारी बनाम नायब तहसीलदार सिकराय में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 के द्वारा अपील खारीज कर न्यायालय नायव तहसीलदार सिकराय द्वारा मुकदमा नम्बर 86/2020 सरकार बनाम हजारी में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 यथावत रखा गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 तथा नायव तहसीलदार सिकराय जिला दौसा निर्णय दिनांक 14.08.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलव किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का गांगदवाडी ने एक रिपोर्ट नायव तहसीलदार सिकराय मे पेश की गई कि अपीलांट ने ग्राम गांगादवाडी गांगदवाडी ने संवत 2077 में खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है0 भूमि पर चरी व बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर नायव तहसीलदार सिकराय द्वारा गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलांट को लगान 1.50 का 50 गुणा 75 रू व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने का निर्णय दिनांक 14.8.2020 पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार सिकराय ने अपीलांट को विना सुनवाई और सबूत का मौका दिये विना ही एकतरफा में निर्णय पारित कर अपीलांट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जबकि सजा जैसे प्रकरण में पिडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका दिया जाना आवश्यक था। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने इन तथ्यो पर कोई विचार नही कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार सिकराय के निर्णय को अति. जिला कलक्टर दौसा ने यथावत रख कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका नही दिया तथा अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का भी अवसर नही दिया। अपीलांट पश्चातवृति अतिक्रमणी नही है। अपीलांट के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट का कोई एक भी तथ्य प्रमाणित नही होने के बावजूद भी दोषी मानकर सजा देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अपने तथ्य रखे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर गौर नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का निर्णय विधि विधान एवं न्याय के सामान्य प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 तथा न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2021 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 23.02.2021 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट् द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के समक्ष पटवारी हल्का गांगदवाडी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने ग्राम गांगदवाडी की आराजी खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है. किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है0 भूमि पर चरी व बाजरे की काश्त कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण संख्या 86/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने दिनांक 14.08.2020 को निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को पश्चातवर्ती अतिकर्मी घोषित करते हुये 60 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने व वार्षिक लगान 1.50 रूपये का 50 गुणा 75/–रूपये शास्ति आरोपित किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील हजारी बनाम नायब तहसीलदार सिकराय में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 पारित कर अपील अपीलांट खारीज की जाकर नायब तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 14.08.2020 को यथावत रखा गया।

8. हम समझते है कि अपीलांट् द्वारा ग्राम गांगदवाडी की आराजी खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.25 है0 भूमि पर चरी व बाजरे की काश्त कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) पश्चातवर्ति अतिकर्मी घोषित होने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा एवं न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

15/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

Scanned by CamScanner